[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं.18/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 2017

सा.का.नि. (अ),- जहां तक कि 'एलॉय या नॉन एलाय स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों' (एतश्मिन पश्चात विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) और जो चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य और उक्रेन (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित हैं और जिनका भारत में आयात किया गया हो, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/12/2016-डीजीएडी, दिनांक 3 अगस्त, 2016, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 3 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किया गया था और शुद्धि पत्र के साथ पठित, उक्त 10 अगस्त, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड 1 में दिनांक 10 अगस्त, 2016 प्रकाशित अपने प्राथमिक निष्कर्षों में उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है; अधिसूचना सं. 45/2016- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 अगस्त, 2016 जिसे सा.का.नि. 570 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जहांकि, केन्द्र सरकार ने उक्त विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तुओं पर लगाए गए इए प्रतिपाटन शुल्क को अधिसूचना सं. 06/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 7 फरवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 87 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 16 अप्रैल, 2017 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया है;

और जहांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/12/2016-डीजीएडी, दिनांक 10 अप्रैल, 2017, जिसे 10 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में, अपने दिनांक 10 अगस्त, 2016 के प्राथमिक निष्कर्षों को अभिपुष्ट करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

i. उक्त विषयगत वस्तु का निर्यात विषयगत देश से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था जिसके कारण इस उत्पाद की भरमार हो गई;
ii. इस विषयगत वस्तु के भरमार के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
iii. यह सारवान क्षति विषयगत देशों से वहां मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात के कारण हुई है, और

घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या निर्यातित इन विषयगत वस्तुओं के भारत में आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युकत निश्चयात्मक निष्कर्षों पर विचार करते हुए एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि मे निर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है, कॉलम (7) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाती हैं, के भारत में आयात किए जाने पर कॉलम)8 (में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पैमाइश की इकाई के अनुसार उस दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है जो कि विषयगत वस्तुओं के लैंडिड मूल्य और धनराशि के अंतर के समतुल्य हो, बशर्ते कि लैंडिड मूल्य, कॉलम)9 (में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार, मापन इकाई में की तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित (10) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, दी गई है।

सारणी

क्रमांक	**शीर्ष/ उपशीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**शुल्क की राशि**	**यूनिट**	**मुद्रा**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7209, 7211, 7225	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्ज हुंडै स्टील	1. मेसर्ज हुंडै स्टील कंपनी	576	मी .टन	अमरीकी डालर

	अथवा 7226	उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।			कंपनी	कोरिया जनवादी गणराज्य 2. मेसर्ज हुंडै कार्पोरिशन कोरिया जनवादी गणराज्य 3. मेसर्ज एल जी इंटरनेशनल लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य 4. मेसर्ज पीएंडए कार्पोरिशन, कोरिया जनवादी गणराज्य			
2.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्ज पोस्को	1. मेसर्ज पोस्को, कोरिया जनवादी गणराज्य 2. मेसर्ज पोस्को देवू कार्पोरिशन, कोरिया जनवादी गणराज्य 3. मेसर्ज एल	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।				जी इंटरनेशनल लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य 4. मेसर्ज हुंडै कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य 5. मेसर्ज सैमसंग सीएंडटी कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य 6. मेसर्ज पोस्को एशिया कं. .लि, हांगकांग 7. मेसर्ज पोस्को प्रोसेसिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य			
3.	7209, 7211, 7225 अथवा	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद	कोरिया जनवादी गणरा	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्ज डोंगकुक इंडस्ट्रीज कंपनी	1. मेसर्ज डोंगकुक इंडस्ट्रीज कं. कोरिया .लि	शून्य	मी .टन	अमरीकी डालर

	7226	अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्‌टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	ज्य		लिमिटेड	जनवादी गणराज्य 2. मेसर्ज पोस्को देवू कॉर्पोरेशन कोरिया जनवादी गणराज्य 3. मेसर्ज कोबोन ट्रेडिंग कार्पो . कोरिया जनवादी गणराज्य			
4.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	मेसर्ज डोंगकुक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	1. मेसर्ज डोंगकुक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, कोरिया जनवादी गणराज्य 2. मेसर्ज पोस्को देवू कार्पोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य 3. मेसर्ज कोवोन	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।				ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य			
5.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड ‘फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	क्रमांक 1, 2, 3 और 4 से भिन्न कोई अन्य संयोजन		576	मी .टन	अमरीकी डालर
6.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड ‘फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक	कोरिया जनवादी गणराज्य	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्‌टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।		अन्य देश					
7.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्‌टी के न हों,	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।							
8.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	जापान	जापान	जेएफई स्टील कार्पोरेशन	1. जेएफई शोजी ट्रेड कापोरेशन, जापान 2. होंडा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, जापान 3. निसान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जापान 4. ओहमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान 5. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान 6. मैटल वन कार्पोरेशन, जापान	576	मी .टन	अमरीकी डालर
9.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक	जापान	जापान	निप्पोन स्टील एंड सुमितोमो मैटल	1. होंडा ट्रेडिंग कार्पोरेशन 2. कनेमत्सु कार्पोरेशन लिमिटे 3. मारुबेनी	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।			कार्पोरेशन	इटोचू स्टील इंक, जापान 4. मैटल वन कार्पोरेशन, जापान 5. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान 6. निप्पोन स्टील एंड सुमितोमो मैटल कार्पोरेशन, जापान 7. सुमितोमो कार्पोरेशन, जापान 8. टोयोटा शुशो कार्पोरेशन			
10.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य	जापान	जापान	क्रमांक 8 और 9 से भिन्न कोई अन्य संयोजन		576	मी .टन	अमरीकी डालर

		एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।							
11.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	जापान	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर
12.	7209, 7211, 7225	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील	पाटनरोधी के अध्यधी	जापान	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

	अथवा 7226	उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	न देश से भिन्न कोई अन्य देश						
13.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झाजिया गांग यांग्त्जे रीवर कोल्ड रोल्ड शीट कंपनी लिमिटेड लि.	1. जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., चीन जनवादी गणराज्य 2. जिंसा इंटरनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर 3. लुकिन (हांग कांग) कं. लि., हांगकांग 4. फ्यूचर	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।				मैटिरियल इंडस्ट्री (हांग कांग) कं. लि., हांगकांग			
14.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक 13 से भिन्न कोई अन्य संयोजन		576	मी .टन	अमरीकी डालर
15.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा	चीन जनवादी गणराज्य	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।		कोई अन्य देश					
16.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।						
17.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	उक्रैन	उक्रैन	जापोरिज स्टील इंटिग्रेटेड आयरन एंड स्टील वर्क्स पीजेएस सी	मेटिनवेस्ट इंटरनेशनल एस ए, स्विटजरलैंड	576	मी .टन	अमरीकी डालर
18.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार	उक्रैन	उक्रैन	क्रमांक 17 से भिन्न कोई अन्य संयोजन		576	मी .टन	अमरीकी डालर

		की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्‌टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।							
19.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्‌टी के न हों, फ्लेटिड	उक्रैन	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

		अथवा कोटेड न हों।							
20.	7209, 7211, 7225 अथवा 7226	रिडज्यूड 'फ्लैट स्टील उत्पाद अथवा प्रत्येक प्रकार की चौडाई और मोटाई वाले अन्य एलॉय स्टील जो मिट्टी के न हों, फ्लेटिड अथवा कोटेड न हों।	पाटनरोधी के अध्यधीन देश से भिन्न कोई अन्य देश	उक्रैन	कोई	कोई	576	मी .टन	अमरीकी डालर

नोट-

i. सारणी में, क्रम संख्या   शुल्कमें शून्य 3केवल निम्नलिखित कोटि-:ग्रेडों के लिए लागू/

(क) अत्याधुनिक उच्च क्षमता युक्त माइक्रो **-**एल्वॉयड स्टील्स जिसकी न्यूनतम यूटीएस >=590 एमपीए और जिनकी चौड़ाई =< 600 मी. मीटर ट्रिम्ड ऐजिस सहित।

(ख) कार्बन युक्त >=0.15% मध्यम और उच्च कार्बन स्टील्स जिसकी चौडाई =<**600** मी. मीटर ऑयल्ड और ट्रिमड एजिस सहित ।

ii. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है:-

(क) स्टेनलैस स्टील

(ख) हाई स्पीड स्टील अर्थात अलाय स्टील, अन्य घटकों सहित अथवा उनके बिना, तीन घटकों मोलिवडेनम (एमओ), टंगस्टन (डब्ल्यू) और वेनाडियम (वी) में से कम से कम दो, जिनमें 7 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के भार 0.6 प्रतिशत अथवा उससे अधिका का कार्बन और 3 से 6 प्रतिशत का क्रोमियम पदार्थ संयुक्त हों ।

(ग) सिलिकन इलैक्ट्रिकल स्टील जो ग्रेन ओरिएंटेड और नॉन ओरिएंटेड स्टील्स के अनुरूपहो अर्थात भार युक्त एलाय स्टील कम से कम 0.6 प्रतिशत परन्तु सिलिकन 6 प्रतिशत से अधिक न हो और कार्बन के 0.08 प्रतिशत से अधिकन हो । इस स्टील भार की दृष्टि से 1 प्रतिशत एल्यूमीनियम से अधिकभी नहीं हो सकता परन्तु उत्पादन में ऐसा कोई घटक न हो जिससे स्टील में अन्य एलाय स्टील की विशेषताएं आ जाएं ।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क पांच वर्षों (जब तक रद्द नहीं किया जाता है, अपर्याप्त या संशोधित किया गया है) के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख, जो 17 अगस्त 2016 है, से प्रभावी होगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा :

बशर्ते कि अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की समाप्ति की तारीख, जो 17 अप्रैल, 2017 है, से प्रारम्भ हुई अवधि के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तक की अवधि के लिए उद्ग्रहित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) इस अधिसूचना से आशय से आयात के लैंडेड मूल्य से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारण मूल्य से है और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगने वाले उद्ग्रहण को छोड़कर सभी सीमा शुल्क डयूटियां शामिल हैं ।

(ख) इस तरह के प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजनों हेतु लागू विनिमय की दर वह होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में निर्दिष्ट है और विनिमय दर के निर्धारण के लिए संगत तिथि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रविष्टि-बिल की प्रस्तुति की तिथि होगी ।

[फा.सं0.354/128/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार